वाद संख्या 193/2013 बअनवान रता बनाम भावेश वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलान्ट के द्वारा एक दावा सहायक कलेक्टर आबूपर्वत में धारा 88, 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जो बाद में सहायक कलेक्टर न्यायालय पिण्डवाडा में स्थानान्तरित किया गया, जहां पर वादी के दावे को खारिज कर रेस्पोंडेन्ट के दावा को डिक्री का आदेश देने में विधिक त्रुटि कारित की है। दावा पेश करते वक्त न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी थी, जिसमें वादी का कब्जा दर्शाया हुआ है। प्रतिवादी कान्ता व उसके वारिसान का न्यायालय में बयान नहीं हुए है। उसके पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर के बयानों को मानकर निर्णय करना गलत है। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि पावर आफ एटोर्नी होल्डर की साक्ष्य को आधार भूत साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी के पावंर आफ एटोर्नी होल्डर डी डब्ल्यु–1 की साक्ष्य से स्पष्ट है कि कब कब्जा किया गया है, उसे पता नहीं तथा न हीं प्रतिवादी या उसके अन्य गवाहन के बयान ही नहीं हुए है, तो न्यायालय के द्वारा वादी का दावा खारिज करने व प्रतिवादिया के प्रतिवाद को डिक्री करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में लिखना कि प्रतिवादिया की जमीन पर वादीगण की सहमति से खेती करते है ऐसी कोई को साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है, इसके अतिरिक्त यह लिखना कि वादीगण का कब्जा है तो सुपुर्द करें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी दिनांक 02.11.2016 को हुई, जब पटवारी ने कब्जा सुपूर्द करने के आदेश होने बाबत् जानकारी दी। जिसके दूसरे ही दिन अपीलांट द्वारा दिनांक 03.11.2016 को निर्णय व डिक्री की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से पत्रावली प्राप्त कर अपील बिना देरीना निर्णय व डिक्री की जानकारी से 60 दिनों के भीतर अन्दर म्याद पेश है। अतः विलंबकाल को माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

अपील अपीलांट म्याद के बिंदु पर विनिश्चय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा की पत्रावली तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट रता वगैरह द्वारा रेस्पोंडेंट भावेश वगैरह के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 88, 188 व 92ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 28.07.2005 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर दिनांक 09.09.2015 को निर्णीत व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 07.12.2016 को प्रस्तुत की।
2. अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा अपील में हुए विलंब के कारण के रूप में निवेदन किया कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी दिनांक 02.11.2016 को हुई, जब पटवारी ने कब्जा सुपुर्द करने के आदेश होने बाबत् जानकारी दी। जिसके दूसरे ही दिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 33/2016 G.C.M.S. No. 2016/00064 दर्ज दिनांक : 07.12.2016

अपीलार्थिगण:

1. रताराम पुत्र हीराजी आयु 68 वर्ष, जाति घांची पेशा खेती निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. दानाराम पुत्र हीराजी आयु 59 वर्ष, जाति घांची पेशा खेती निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. कैसाराम पुत्र हीराजी आयु 45 वर्ष, जाति घांची पेशा खेती निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भावेश पुत्र देवारामजी, आयु वयस्क, जाति घांची पेशा पढ़ाई निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सन्नी पुत्र देवारामजी, आयु वयस्क, जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. निकीता पुत्री देवारामजी, आयु वयस्क, जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. देवाराम पुत्र थानारामजी, आयु वयस्क, जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. हंसा पुत्र हीराजी, आयु वयस्क, जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. गणेश पुत्र हीराजी, आयु वयस्क, जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7. धन्ना पुत्र लक्ष्मीचंद, आयु वयस्क, जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
8. कालु पुत्र लक्ष्मीचंद, आयु वयस्क, जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध डिक्री व निर्णय दिनांक 09.09.2015 राजस्व वाद संख्या 193/2013 द्वारा सहायक कलक्टर पिण्डवाडा जिला सिरोही एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री नगेन्द्र मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा सहायक कलक्टर पिण्डवाड़ा के राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

अपीलांट द्वारा दिनांक 03.11.2016 को निर्णय व डिक्री की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से पत्रावली प्राप्त कर अपील बिना देरीना निर्णय व डिक्री की जानकारी से 60 दिनों के भीतर अन्दर म्याद पेश है। अतः विलंबकाल को माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. रेस्पोंडेंट्स द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स द्वारा वादीगण के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपील म्याद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।
4. हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं इसके काउण्टर में रेस्पोंडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बेदखली से संबंधित है। लिहाजा, प्रकरण को कठोर तकनीकी प्रक्रियागत मानकों के आधार पर निर्णीत करने के बजाय उभयपक्ष को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए। साथ ही अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब जानबूझकर कारित दीर्घ विलंब की श्रेणी में नहीं आता। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट रता वगैरह द्वारा रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम रोहिड़ा तहसील पिण्डवाडा में स्थित वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय प्रतिदावा अंतर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी से वादीगण की बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की।
6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की गई एवं उभयपक्ष की साक्ष्य ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.09.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज कर प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र स्वीकार कर निर्णीत व डिक्री किया। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावा, जवाबदावा व प्रतिदावा के आधार पर विवाद्यक विरचित किए गए, लेकिन अपीलाधीन निर्णय विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णय करते हुए पारित नहीं किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा कौनसा विवाद्यक किन–किन साक्ष्यों एवं ऐसे साक्ष्यों की संबंधित विधिक प्रावधानों से सुसंगतता के आधार पर वादीगण/प्रतिवादीगण में से किसके पक्ष में साबित मानते हुए निर्णीत किए हैं। साथ ही ऐसे निर्णय व विनिश्चय के कारणों को भी अभिलिखित नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय किसी भी दृष्टि से स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं विनिश्चय के साथ निर्णय पारित करते हुए प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णीत व डिक्री किया जाना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों के अनुपालन का सर्वथा अभाव पाया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री किसी भी दृष्टि से समर्थन एवं पुष्टियोग्य नहीं हैं।
7. रेस्पोंडेंट द्वारा ऐसा कोई तथ्य, तर्क एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे अपील अपीलांट को खण्डित किया जा सकें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ पुनः निर्णयन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा जिला सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 193/2013 बअनवान रता वगैरह बनाम भावेश वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर प्रकरण में विवाद्यकवार पृथक–पृथक उपलब्ध साक्ष्य एवं संगत विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए सुस्पष्ट कारणों के साथ अपने विनिश्चय के साथ निर्णय करते हुए प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णीत व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 02.01.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

29.11.2024

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली